-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित अभियोग में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष 2020 में थाना मरका क्षेत्र में दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति व ससुर को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये जुर्मानें की सजा।**

विवरण- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के तहत चिह्नित वर्ष-2020 में थाना मरका क्षेत्र अन्तर्गत दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति व ससुर को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि जनपद बांदा थाना बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम शिव के रहने वाले सिकन्दर ने दिनांक 25.02.2020 को थाना मरका पर सूचना दी कि उनकी पुत्री का विवाह वर्ष 2019 को थाना मरका क्षेत्र के ग्राम पन्नाह के रहने वाले सलमान से हुई थी, शादी के बाद से ही ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक रुप से प्रताड़ित करते थे, दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों द्वारा उनकी पुत्री की दिनांक 17.02.2020 को फांसी लगाकर जान से मार दिया गया। इस सम्बन्ध में थाना मरका पर मु0अ0सं0 14/2020 धारा 498ए/304बी भादवि 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरु श्री राजीव प्रताप सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री सुशील कुमार तिवारी द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक कुमार तथा पैरोकार आरक्षी दिलीप कुमार के अथक प्रयासों से आरोपी पति व ससुर को मा0 सत्र न्यायालय बांदा द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. अली रजा पुत्र अली बक्श निवासी पन्नाह थाना मरका जनपद बांदा।
2. सलमान खां पुत्र अली रजा निवासी पन्नाह थाना मरका जनपद बांदा।